प्रेस-नोट दि0-09.10.2024, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

एसपी डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

चोरी जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त 02 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नवाबगंज में गैंगेस्टर एक्ट के तहत किया गया अभियोग पंजीकृत-

गिरोह लीडर हिमांशू तिवारी अन्तर्जनपदीय स्तर का शातिर अभियुक्त है जिस पर चौरी जैसे लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है-

गिरोह का लीडर व सदस्य पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं-

चोरी की घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था-

दिनांक 14.09.2024 को चोरी की घटना का शीघ्र अनावरण कर त्वरित विवेचना मात्र 09 दिवस में पूर्ण कर थाना नवाबगंज में पुलिस द्वारा मात्र 21 दिवस में अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैगंस्टर की कार्यवाही-

प्रतापगढ़।
श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

थाना नवाबगंज पर 02 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत-
अपर पुलिस अधीक्षक,पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष नवाबगंज धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में दिनांक 08.10.2024 को एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग लीडर व सदस्य क्रमशः (गैंग लीडर) 1- हिमांशू तिवारी पुत्र देशबाबू तिवारी निवासी ग्राम अरखा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली, (गैंग सदस्य) 2- पुष्पेन्द्र प्रजापति पुत्र नरपति प्रजापति निवासी ग्राम माधोपुर सुल्तानपुर थाना ऊंचाहार, जनपद रायबरेली के विरुद्ध नियमानुसार मु0अ0सं0 176/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी

क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में नामजद सभी गैंगस्टर पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं।

घटना का पूर्व का विवरण-
(गैंग लीडर) हिमांशू तिवारी, (गैंग सदस्य) पुष्पेन्द्र प्रजापति के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है, जो अन्तर्जनपदीय स्तर पर सक्रिय है।

इस गिरोह द्वारा दिनांक 17.08.2024 को धीरेन्द्र पुत्र शंकरलाल निवासी ग्राम बरियावां, बरई का पुरवा थाना नवाबगंज, प्रतापगढ की मोटर साइकिल को नवाबगंज चौराहा के पास से चोरी कर लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 147/2024 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण हेतु दिये थे सख्त निर्देश, जिसके क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान गिरोह के सदस्यों से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने पर विवेचानोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 303(2),317(2),3(5) बीएनएस में माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। साक्ष्यों के आधार पर त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही मात्र 09 दिवस में पूर्ण कर थाना नवाबगंज में पुलिस द्वारा मात्र 21 दिवस में अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैगंस्टर की कार्यवाही।

दिनांक 14.09.2024 को शमीम खान पुत्र सगीर खान निवासी ग्राम मुरस्सापुर थाना नवाबगंज, प्रतापगढ़ की मोटर साइकिल को नवाबगंज चौराहा के पास से चोरी कर लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 160/2024 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण हेतु दिये थे सख्त निर्देश, जिसके क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान गिरोह के सदस्यों से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने पर विवेचानोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 303(2),317(2),3(5), 345(3) बीएनएस में माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

अभियुक्त हिमांशू तिवारी पुत्र देशबाबू तिवारी निवासी ग्राम अरखा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 48/2023 धारा 379 भादिव थाना ऊंचाहार, जनपद रायबरेली।
02. मु0अ0सं0 208/2023 धारा 379 भादिव थाना ऊंचाहार, जनपद रायबरेली।

03. मु0अ0सं0 221/2023 धारा 379, 411 भादिव थाना ऊंचाहार, जनपद रायबरेली।

04. मु0अ0सं0 241/2023 धारा 379, 411 भादिव थाना ऊंचाहार, जनपद रायबरेली।

05. मु0अ0सं0 243/2023 धारा 411,413भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट भादिव थाना ऊंचाहार, जनपद रायबरेली ।

06. मु0अ0सं0 147/2024 धारा 303(2),317(2),3(5) बीएनएस थाना नवाबगंज, प्रतापगढ़।

07. मु0अ0सं0 160/2024 धारा 303(2),317(2),3(5), 345(3) बीएनएस थाना नवाबगंज, प्रतापगढ़।

अभियुक्त पुष्पेन्द्र प्रजापति पुत्र नरपति प्रजापति निवासी ग्राम माधोपुर सुल्तानपुर थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 147/2024 धारा 303(2),317(2),3(5) बीएनएस थाना नवाबगंज, प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 160/2024 धारा 303(2),317(2),3(5), 345(3) बीएनएस थाना नवाबगंज प्रतापगढ़।

बयान– जीरी टॉलरेंस नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस कटिबद्ध है। अपराधियों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा। शीघ्र गिरफ्तार कर अपराधियों को जेल भेजे जाने की कार्यवाही जारी है। शांत एवं सुरक्षित समाज निर्माण में प्रतापगढ़ पुलिस का सहयोग करें।
डॉ0 अनिल कुमार,
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर के उ0नि0 महेश जायसवाल मय हमराह हे0 का0 पंकज कुमार, का0 रंजीत सिंह, का0 अजय यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, अ0सं0- 09/01 धारा 323,504,506 भादवि थाना फतनपुर से संबंधित वारण्टी अभियुक्त फूलचन्द्र पुत्र रामधनी निवासी ग्राम बन्दीपट्टी नौडेरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01- अभियुक्त फूलचन्द्र पुत्र रामधनी निवासी ग्राम बन्दीपट्टी नौडेरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 महेश जायसवाल मय हमराह हे0 का0 पंकज कुमार, का0 रंजीत सिंह, का0 अजय यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथिगवां के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 मानवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, वाद सं0-7043, अ0सं0- 153/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हथिगवां से संबंधित वारण्टी अभियुक्त राम सहारे पुत्र शिव चरन सरोज निवासी ग्राम मिश्र दयालपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01- अभियुक्त राम सहारे पुत्र शिव चरन सरोज निवासी ग्राम मिश्र दयालपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 मानवेन्द्र सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव, का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0अ0सं0- 150/96 धारा 324,504,506 भादवि व मु0अ0सं0- 154/95 धारा 323,324,504,506 भादवि थाना रानीगंज से संबंधित वारण्टी 02 अभियुक्तों 1- पप्पू उर्फ दान बहादुर पुत्र समरजीत, 2- विजय बहादुर उर्फ लुहरी पुत्र समरजीत निवासीगण ग्राम राजापुर खरहर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1- अभियुक्त पप्पू उर्फ दान बहादुर पुत्र समरजीत निवासी ग्राम राजापुर खरहर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।

2- अभियुक्त विजय बहादुर उर्फ लुहरी पुत्र समरजीत निवासी ग्राम राजापुर खरहर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव, का0 मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट का 25000/- रुपये का इनामियां वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

चोरी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के गम्भीर अपराध में संलिप्त है अपराधी

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा 25000/- रुपये का गैंगस्टर एक्ट का इनामियां वांछित अभियुक्त त्रिभुवन वर्मा को नहर पुलिया बहद ग्राम कालाकांकर रोड से किया गया गिरफ्तार

गैंगस्टर अपराधी त्रिभुवन वर्मा पर लगभग आधा दर्जन चोरी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट जैसी गम्भीर धाराओं में दर्ज हैं अभियोग

गैंगलीडर त्रिभुवन वर्मा पुत्र शंकरलाल निवासी चौखड़ा देवापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा 25,000/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

एएसपी पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शिवनारायण वैश के नेतृत्व में गैगस्टर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सूरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश

के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल भदौरिया थाना अन्तू के नेतृत्व में थाना अन्तू पर दिनांक 21.07.2024 को मु0अ0सं0 425/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम त्रिभुवन पुत्र शंकर निवासी चौखड़ा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना अन्तू पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी रही थी।

गैंगस्टर त्रिभुवन पुत्र शंकर निवासी चौखड़ा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा 25,000/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 09.10.2024 को उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 प्रशान्त दूबे, कां0 ऋषिकान्त इंदौलिया, कां0 नितिश यादव, कां0 ऋषिराज यादव, कां0 छत्रपाल थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा पतारसी, सुरागरसी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया बहद ग्राम कालाकांकर रोड से गैंगस्टर त्रिभुवन पुत्र शंकर निवासी चौखड़ा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-428/2024 धाारा-3/ 25 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त गैंगस्टर त्रिभुवन के द्वारा अपने गिरोह के सदस्य 01. (गैंगलीडर) राजकुमार वर्मा, 2.अनुज वर्मा उर्फ अरविन्द, 3. राजू उर्फ शिव कुमार के साथ मिलकर दिनांक 14.07.2023 को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत भट्टी बाजार में दुकान काटकर सोने चाँदी के आभूूषण चोरी किये थे जिसके संबंध में थाना अन्तू में मु0अ0सं0 270/2023 धारा 457,380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 9/10.12.2023 को ग्राम कोल बजरडीह में दरवाजा तोड़कर सात लाख रूपये व जेवर चोरी किये थे जिसके संबंध में थाना अन्तू में मु0अ0सं0 535/23 धारा 457,380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया एवं दिनांक 28.05.2021 को ग्राम देवापुर में घर में घुसकर बक्से से सोने व पैसे चोरी चोरी किये थे। जिस संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0- 355/21 धारा 357,380 भादवि का पंजीकृत किया गया था।

आपराधिक इतिहास -
गैंगस्टर त्रिभुवन पुत्र शंकर निवासी चौखड़ा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़-

1-मु0अ0सं0 270/2023 धारा 457,380 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

2-मु0अ0सं0 535/2023 धारा 457,380,411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/ 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
3-मु0अ0सं0 425/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
4- मु0अ0सं0- 355/21 धारा 357,380 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
5- मु0अ0सं0-428/2024 धा ारा-3/ 25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीमः- उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 प्रशान्त दूबे, कां0 ऋषिकान्त इंदौलिया, कां0 नितिश यादव, कां0 ऋषिराज यादव, कां0 छत्रपाल थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के थानाध्यक्ष राधेश्याम मय हमराह का0 हैप्पी बाबू, का0 पुष्पन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0-4939/20 व अ0सं0- 10/18 धारा 323,427,506 भादवि थाना कोहंडौर से संबंधित वारण्टी 02 अभियुक्तों 1- राजेश यादव पुत्र सुखराज यादव, 2- रमेश यादव पुत्र सुखराज यादव निवासीगण ग्राम निनवट अतरसण्ड थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का विवरण-
1- राजेश यादव पुत्र सुखराज यादव निवासी ग्राम निनवट अतरसण्ड थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ।
2- रमेश यादव पुत्र सुखराज यादव निवासी ग्राम निनवट अतरसण्ड थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष राधेश्याम मय हमराह का0 हैप्पी बाबू, का0 पुष्पन्द्र यादव थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

क्राइम ब्रांच प्रयागराज द्वारा थाना कोहंडौर पुलिस के सहयोग से 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त शशि भूषण दूबे को पुलिस ने दबोचा

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/ पश्चिमी के कुशल नेतृत्व में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दि0-09.102024 को निरीक्षक/विवचक श्री संतोष कुमार सिंह मय हमराह निरी0 गंगा प्रसाद, चालक हे0कां0 कृष्णानन्द यादव, कां0 नागेन्द्र मिश्रा क्राइम ब्रांच जनपद प्रयागराज द्वारा थानाध्यक्ष कोहंडौर के सहयोग से अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 325, 452, 308, 307, 354ख व 7/ 8 पाक्सो एक्ट थाना कोहंडौर से संबंधित वारण्टी अभियुक्त शशि भूषण दूबे पुत्र स्व0 श्याम बिहारी दूबे निवासी ग्राम पूर कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01- शशि भूषण दूबे पुत्र स्व0 श्याम बिहारी दूबे निवासी ग्राम पूर कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम- निरीक्षक/विवेचक श्री संतोष कुमार सिंह मय हमराह निरी0 गंगा प्रसाद, चालक हे0कां0 कृष्णानन्द यादव, कां0 नागेन्द्र मिश्रा, क्राइम ब्रांच जनपद प्रयागराज।
थाना कोहंडौर पुलिस टीम।

बयान- मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति के तहत कठोर कार्यवाही की जा रही है।